

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाडा

अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

संख्या :- 64/2021 प्रा० पत्र

हृदय पुत्र मौती जाति जाडरी उम्र बालिग निवासी देवीपुरा (वैमाली)

प्रार्थी.....

बनाम
सुन्दर देवी पत्नी प्यारचन्द जाति देवी उम्र बालिग निवासी वैमाली व अन्य

विपक्षीगण..



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 06/04/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का वैमाली तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त आराजी नम्बर 101/1, 16, 236, 237/1, 240, 242, 243, 244, 247/2, 247/3, 263, 445/237 हेक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/पत्रों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23/02/2021 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को प्रार्थी से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते कि न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का वैमाली तहसील करेडा में स्थित आराजी 1, 16, 236, 237/1, 240, 242, 243, 244, 247/2, 247/3, 263, 445/237 कुल किताना 12 रकबा हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु लेख निरीक्षक वैमाली को 1100/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त ता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान गी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सुपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा

— तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सुपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा